न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 411 सन 2021

अनवान :–

1. किशन सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लिलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनु।

वादी

बनाम

1. मोती सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
2. गोकुल सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
3. दीप सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
4. अशोक सिह पुत्र मलू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
5. महेन्द्र सिह पुत्र मलू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
6. अर्जुन सिह पुत्र रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
7. तेज सिह पुत्र बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
8. विरेन्द्र सिह शेखावत पुत्र बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
9. बक्चन कंवर पत्नी मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
10. विनोद कंवर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
11. कमोद कंवर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
12. ओम कवंर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
13. सरोज कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
14. दरियाव कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
15. नन्दू कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
16. रतन कंवर पत्नी बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
17. पदम कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
18. आनन्द कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
19. परमजीत कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
20. बबलेश कवंर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांक :– 7/9/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 11 जीजीएम के खाता संख्या 29/27 की कुल 6.325हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पत्नी जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि जो जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है। वादी के दादा मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 20 का जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के हक हिस्सा की भूमि है जडाव कवर वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है जिसके भी वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पुत्री एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान में जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 11 जीजीएम के खाता संख्या 29/27 की कुल 6.325हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पत्नी जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि जो जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है। वादी के दादा मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार बादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 20 का जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के हक हिस्सा की भूमि है जडाव कवर वादी की माता का भी देहान्त हो चुका है जिसके भी वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पुत्री एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 जीजीएम के खाता संख्या 29/27 की कुल 6.325हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के नाम से दर्ज है वादी के दादा मोहनसिह पुत्र धन्नेसिह के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि मृतक जडाव कवर , वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं मृतक मल्लूसिह , रामकुमार सिह , बिशनसिह के नाम सें दर्ज है जडाव कवर का भी देहान्त हो चुका विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 20 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 29/27 की कुल क्षेत्रफल 6.325 है0 भूमि में वादी की मृतक माता जड़ाव कंवर का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 409/451 (61) के किला 1 की मिन पश्चिम 0.159 है0 व किला नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.177 है0 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 1 की मिन पूर्व .069 है0, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.076 है0 व किल नं. 2 की मिन पश्चिम 0.090 है0 व 9, 12, 19, 22 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.101 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं 2 की 0.138 है0, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.152 है0 भूमि व किला नं. 3 की 0.021 है0 मिन पश्चिम, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.025 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा किला नं. 3 की 0.021 मिन पश्चिम छोड़कर मिन मध्य 0.159 है0 भूमि, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.025 है0 भूमि छोड़कर मिन मध्य की 0.177 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 3 की मिन पूर्व 0.048 है0, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.051 है0 व किला नं. 4 की मिन पश्चिम 0.111 है0, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.126 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के दर्ज की जावे तथा किला नं. 4 की मिन पूर्व 0.116 है0, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.127 है0, किला नं. 5 की मिन पश्चिम 0.043 है0, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.050 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 5 मिन पूर्व की 0.159 है0, 6 की मिन पूर्व 0.177 है0, 15 ,16 25 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.178 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा किला नं. 1/2, 2/2, 3/2 प्रत्येक की 0.025 है0 4/2 की 0.026 है0, 5/2 की 0.051, 6/2 की 0.026, 15/2 की 0.025 है0, 16/2 की 0.025 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 6 के 5/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 का 2/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. किशन सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लिलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झुझनु।

वादी

बनाम

1 मोती सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
2. गोकुल सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
3. दीप सिह पुत्र मोहन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
4. अशोक सिह पुत्र मलू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
5. महेन्द्र सिह पुत्र मलू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
6. अर्जुन सिह पुत्र रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
7. तेज सिह पुत्र बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
8. विरेन्द्र सिह शेखावत पुत्र बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
9. बक्चन कंवर पत्नी मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
10. विनोद कंवर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
11. कमोद कंवर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
12. ओम कवंर पुत्री मल्लू सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
13. सरोज कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
14. दरियाव कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
15. नन्दू कंवर पुत्री रामकुमार सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
16. रतन कंवर पत्नी बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
17. पदम कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
18. आनन्द कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
19. परमजीत कंवर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
20. बबलेश कवंर पुत्री बिशन सिह जाति राजपूत निवासी लीलो की ढाणी तहसील उदयपुर वाटी जिला झूझनू।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 411 सन 2021 निर्णय दिनांक– 07/09/2021

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 29/27 की कुल क्षेत्रफल 6.325 है0 भूमि में वादी की मृतक माता जड़ाव कंवर का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 409/451 (61) के किला 1 की मिन पश्चिम 0.159 है0 व किला नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.177 है0 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 1 की मिन पूर्व .069 है0, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.076 है0 व किल नं. 2 की मिन पश्चिम 0.090 है0 व 9, 12, 19, 22 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.101 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं 2 की 0.138 है0, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.152 है0 भूमि व किला नं. 3 की 0.021 है0 मिन पश्चिम, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.025 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा किला नं. 3 की 0.021 मिन पश्चिम छोड़कर मिन मध्य 0.159 है0 भूमि, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.025 है0 भूमि छोड़कर मिन मध्य की 0.177 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 3 की मिन पूर्व 0.048 है0, 8, 13, 18, 23 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.051 है0 व किला नं. 4 की मिन पश्चिम 0.111 है0, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.126 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के दर्ज की जावे तथा किला नं. 4 की मिन पूर्व 0.116 है0, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.127 है0, किला नं. 5 की मिन पश्चिम 0.043 है0, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.050 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे तथा किला नं. 5 मिन पूर्व की 0.159 है0, 6 की मिन पूर्व 0.177 है0, 15 ,16 25 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.178 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के ब0 हि0 ब0 दर्ज की जावे तथा किला नं. 1/2, 2/2, 3/2 प्रत्येक की 0.025 है0 4/2 की 0.026 है0, 5/2 की 0.051, 6/2 की 0.026, 15/2 की 0.025 है0, 16/2 की 0.025 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 6 के 5/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 का 2/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर